संख्या- 03 /2023/001-1404-23-12-2023-23-12002-001-3-2022

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में स्वीकृत 01 परियोजना का धनावंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1203नि/107-01नि/22-23 दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-30/2023//002-1799-23-12-2022-1799/2022 दिनांक 31.03.2023 को अवक्रमित करते हुए मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1085नि/115-01नि/23-24, दिनांक 09.08.2023 के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य की कुल लागत रू0 12243.97 लाख (रूपये एक अरब बाइस करोड़ तैंतालिस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तालिका के कालम सं0-7 में अंकित उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 3673.19 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	कुल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि/शासनादेश	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रा0ख0 बदायूँ	जनपद बदायूं में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर का कार्य	34.33	12243.97	200.00 (शा0 सं0-30/ 2023//002-1799-23-12-2022-1799 /2022 दिनांक 31.03.2023) उक्त धनराशि आहरित न होने के कारण लैप्स हो चुकी है।	**3673.19**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(11) अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ के पत्र सं0-सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) प्रायोजना प्रस्ताव में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा रू0 1292.42 लाख एवं वन विभाग द्वारा रू0 125.80 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य विद्युत विभाग एवं वन विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य कराया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ लोक निर्माण विभाग का होगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602-दस/2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजना की प्रस्तावित लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(19) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर, पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(20) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(21) प्रशा0 विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,73,19,000 (रुपये छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000470 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-903-एक्स-2023-24, दिनांक-19.12.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-03/2023//001-1404-23-12-2023-23-12002-001-3-2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बदायूँ।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1) ,लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0 ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।